

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 82/2015
संस्थित दिनांक-08/02/2013
फाईलिंग नंबर-230303012832013

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा—
आरक्षी केन्द्र मालनपुर, जिला—भिण्ड (म0प्र0) —————अभियोजन

वि रू द्ध

1. गजेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र केशव सिंह गुर्जर,
उम्र 50 साल
2. शिवराज सिंह पुत्र गजेन्द्र सिंह गुर्जर,
उम्र 29 साल निवासीगण पारसेन थाना बिजौली,
हाल डी.डी.नगर ग्वालियर

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक
आरोपीगण द्वारा श्री महेश श्रीवास्तव अधिवक्ता

—::— निर्णय —::—

(आज दिनांक 17 मार्च 2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 212, 216 सहपठित धारा-11, 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट एवं आरोप है कि उसने दिनांक-24/01/2013 को व उसके पूर्व हरीराम की कुईया तिराहा मालनपुर डकैती प्रभावित क्षेत्र में अपने रिश्तेदार ईनामी इश्तहारी अपराधी ब्रजेन्द्रसिंह गुर्जर के अपराधी होने का विश्वास रखते हुए उसे दण्ड से बचाने के लिये पुलिस की सूचना देकर व संश्रय देकर प्रतिक्रिया दीत किया ।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक को राजस्व जिला भिण्ड में म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावी क्षेत्र अधिनियम 1981 प्रभावशील था । यह भी निर्विवादित है कि आरोपीगण आपस में पिता पुत्र होकर ईनामी फरारी अपराधी ब्रजेन्द्र सिंह गुर्जर के कुटुम्बी हैं । जिसमें आरोपी गजेन्द्र उसका भाई और शिवराज उसका भतीजा है ।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि दिनांक-18/1/2013 को जब उपनिरीक्षक मदन दुबे थाना मालनपुर में उपनिरीक्षक के पद पर था और थाना प्रभारी निरीक्षक सुमन सिंह ध्रुर्व थे, उक्त दि० को जरिये मुखबिर थाने पर इस आशय की सूचना प्राप्त हुई थी कि फरारी ईनामी बदमाश ब्रजेन्द्र सिंह उर्फ कक्का उर्फ केशव सिंह निवासी पारसेन थाना बिजौली जिला ग्वालियर जो कि कई मामलों फरार है, शाम के करीब 4 बजे क्रॉम्टन फैक्ट्री के सामने मोटरसाइकिल से घूम रहा था जिसे वासुदेव पुत्र कदम सिंह निवासी जिमलेदार का पुरा, गजेन्द्र पुत्र केशव सिंह और उसका लडका शिवराज सिंह निवासी ग्राम पारसेन ने कपड़े, जूते, तथा एक थैले में खाने पीने की सामग्री दी है और सामान लेकर उक्त ईमानी बदमाश ब्रजेन्द्रसिंह रिठौरा की तरफ चला गया है जिस सूचना से उसने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया था और टी.आई. ध्रुर्व को भी फोन से सूचना दी थी। तथा रोजनामचा सान्हा क्र०-652 पर उक्त सूचना को लेखबद्ध कर ए.एस.आई. आशाराम गौड व आरक्षक प्रदीप के साथ स्वयं के वाहन से जाकर क्रॉम्टन कंपनी की तरफ सूचना की तस्दीख की थी, किन्तु कोई व्यक्ति नहीं मिला। वहां आने जाने वाले व्यक्तियों से पूछताछ करने पर यह जानकारी मिली थी कि दो व्यक्ति थैला लेकर घूमते देखे गये जिसमें किसी व्यक्ति से बात की और चले जाना बताया। फिर वह इलाका गश्त करते हुए वापिस आ गये थे और थाना प्रभारी को इससे अवगत कराया था।
4. दि०-24/1/2013 को पुनः इस आशय की मुखबिर से सूचना मिली थी कि गजेन्द्रसिंह गुर्जर और उसका लडका शिवराज सिंह गुर्जर के द्वारा फरारी इश्तहारी बदमाश ब्रजेन्द्र सिंह जिसपर पुलिस अधीक्षक भिण्ड के द्वारा 5000/-रुपये का ईनाम घोषित किया गया, उसको संरक्षण देकर और गिरफ्तारी से बचाते हुए हरीराम की कुईया तरफ खाना रसद आदि उपलब्ध करा रहे हैं, जिसे रोज०सान्हा क्र०-895 पर दर्ज करके थाना प्रभारी सुमन सिंह ध्रुर्व, उपनिरीक्षक मदन दुबे, आरक्षक प्रदीप, गवाह रवि जाटव व विजय उर्फ ब्रजकिशोर जाटव को शासकीय वाहन से ले जाकर सूचना की तस्दीख की जिसमें यह पाया गया कि उक्त दोनों के द्वारा अपने रिश्तेदार फरार इश्तहारी बदमाश ब्रजेन्द्र सिंह गुर्जर जो कि गजेन्द्र का भाई और शिवराज का चाचा है, उसे दोनों आरोपीगण ने एक थैले में जूते, कपड़े और खाने पीने का सामान दिया है और पुलिस की सूचना से अवगत कराते हुए आश्रय दिया। जिससे वह रिठौरा की तरफ मोटरसाइकिल से भाग गया। जिसपर से तस्दीख उपरांत थाना मालनपुर में रोज०सान्हा क्र०-895 के आधार पर अप.क्र. -20/2013 धारा-212, 216 भादवि० व 11, 13 डकैती अधिनियम के अंतर्गत प्रदर्श पी.-5 की कायमी कर साक्षियों के कथनों एवं दि०-26/01/2013 को आरोपीगण की प्रदर्श पी.-6 व 7 के

गिरफ्तारी पत्रक मुताबिक गिरफ्तारी करते हुए विवेचना उपरान्त अभियोगपत्र विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

5. अभियोगपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध 212, 216 भादवि. सहपठित धारा-11, 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में रंजिशन झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। किन्तु उसकी ओर से बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी है।

6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1- क्या आरोपीगण के द्वारा दि0-24/01/2013 को व उसके पूर्व हरीराम की कुईया तिराहा मालनपुर डकैती प्रभावित क्षेत्र में अपने रिश्तेदार ईनामी इश्तहारी अपराधी ब्रजेन्द्रसिंह गुर्जर के अपराधी होने का विश्वास रखते हुए उसे दण्ड से बचाने के लिये पुलिस की सूचना देकर व संश्रय देकर प्रतिकंदाईत किया ?

-:-निष्कर्ष के आधार :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 का निराकरण

7. उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की गयी साक्ष्य में तत्कालीन प्रधान आरक्षक वर्तमान एच.सी.एम. गजेन्द्र सिंह अ.सा.-1 एवं उपनिरीक्षक मदन दुबे अ.सा.-2 के अभिसाक्ष्य कराये गये हैं। अभियोजन को पर्याप्त अवसर दिये जाने और विचारण कार्यक्रम मुताबिक शेष साक्षियों को हर संभव प्रयास कर आहूत किए जाने के पश्चात भी साक्षी विजय उर्फ ब्रजकिशोर, रवि जाटव और मुन्नालाल खटीक को साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा दि0-24/1/2013 की जिस कार्यवाही के आधार पर अभियोगपत्र पेश किया गया था, उससे संबंधित विवेचक तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक सुमन सिंह ध्रुवे के फौत हो जाने से उसका भी परीक्षण नहीं हुआ है इसलिये उक्त दोनों परीक्षित साक्षियों के अभिसाक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करते हुए विरचित आरोप के संबंध में अभियोजन की साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित हो जाता है। बचाव पक्ष की ओर से तो झूठा फंसाये जाने का आधार लेते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि जिस ब्रजेन्द्र सिंह उर्फ कक्का पुत्र केशव सिंह गुर्जर पर पुलिस द्वारा ईनाम घोषित कर उसे पुलिस की सूचना से अवगत कराने, दैनिक उपयोग की वस्तुएं मुहैया कराने और अपराध से बचाने के लिए शरण दिये

जाने या छिपाये जाने के आरोप लगाते हुए अभियोगपत्र पेश किया है वह मात्र इस आधार पर पेश किया गया है कि उक्त इशतहारी अपराधी ब्रजेन्द्रसिंह उर्फ कक्का आरोपी गजेन्द्रसिंह का भाई और शिवराज का चाचा है । जबकि उससे दोनों आरोपीगण का विगत 20 वर्षों से कोई संपर्क नहीं है और न ही वे साथ में रहते हैं, उनकी खेती बाड़ी भी अलग अलग है और बंटवारा भी हो चुका है तथा ब्रजेन्द्र सिंह उर्फ कक्का का विवाह नहीं हुआ है जबकि गजेन्द्र ग्रहस्थ होकर पत्नी व बच्चे हैं जिन्हें कुटुम्बी होने के आधार पर पुलिस ने झूठा फंसा दिया, जिसका कोई आधार नहीं है । इस बिन्दु को भी अभियोजन साक्षियों के मूल्यांकन के साथ ही विचार में लेना होगा ।

8. प्र.आर. गजेन्द्रसिंह अ.सा.-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में जुलाई 2013 में थाना मालनपुर में प्र.आर. के रूप में पदस्थ रहना और वर्तमान एस.सी.एम. के पद पर पदस्थ रहना बताते हुए थाना का दि०-18 एवं 24 जनवरी 2013 से संबंधित असल रोज०सान्हा क्र०-652, 653, 664, 895, 898 एवं 901 को साथ लाते हुए इस आशय की साक्ष्य दी है कि उक्त प्रकरण में प्रस्तुत की गयीं रोज०सान्हा की प्रतिलिपियों को उपनिरीक्षक मदन दुबे द्वारा सत्यापित किया गया है । जो रोज०सान्हा क्र०-652 प्रदर्श पी.-1, 653 व 664 प्र०पी०-2, 895 और 898 प्र.पी.-3 एवं 901 प्र.पी.-4 हैं जिनकी सत्यापित प्रतिलिपियां क्रमशः प्र.पी.-1 सी लगायत प्रदर्श पी.-4 सी तक बताते हुए उसपर उपनिरीक्षक मदनदुबे के हस्ताक्षर बताये हैं । उपनिरीक्षक मदन दुबे अ.सा.-2 के रूप में परीक्षित हुए उन्होंने भी उक्त रोज०सान्हा बाबत समर्थन किया है ।
9. अ.सा.-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी कहा है कि मुखबिर की सूचना कैसे आयी थी इसका उल्लेख प्रदर्श पी.-1 से 4 में नहीं किया है, यह भी स्वीकार किया है कि उक्त रोज०सान्हा में वासुदेव पुत्र कदमसिंह निवासी जिलेदार का पुरा का भी उल्लेख है । जो उपनिरीक्षक मदनदुबे अ.सा.-2 भी अपने अभिसाक्ष्य में स्वीकार करता है और अ.सा.-2 ने पैरा-6 में यह भी स्वीकार किया है कि वासुदेव पुत्र कदमसिंह के विरुद्ध कोई मामला पंजीबद्ध नहीं हुआ, उसे किस आधार पर छोड़ा गया यह वह नहीं बता सकता, क्योंकि दि०-24/1/2013 की कार्यवाही निरीक्षक सुमन सिंह धुर्वे के द्वारा की गयी थीं । जबकि बचाव पक्ष के विद्वान अधि० का तर्क है कि वासुदेव पुत्र कमलसिंह निवासी जिलेदार का पुरा को पुलिस द्वारा जानबूझकर छोड़ा गया और आरोपीगण को जानबूझकर झूठा फंसाया है ।
10. अ.सा.-1 व 2 दोनों ही साक्षीगण ने अपने अभिसाक्ष्य में इस बात को स्वीकार किया है कि प्र.पी.-1 लगायत-पी.-4 के रोज०सान्हा मुताबिक जो कार्यवाहियां हुई उसमें आरोपीगण और फरारी अपराधी ब्रजेन्द्रसिंह उर्फ कक्का नहीं मिले थे । आरोपीगण

को किसने पहचाना था इस बात का भी उल्लेख रोज0सान्हा में नहीं है । अ.सा.-1 ने यह भी स्वीकार किया है कि क्रॉम्टन ग्रीब्स फैक्ट्री के सामने कोई जंगल नहीं है, खाली जगह है । जबकि रोजनामचा सान्हा क्र0-664 में क्रॉम्टन फैक्ट्री के सामने जंगल में आसपास तलाशना और कोई व्यक्ति न मिलना उल्लेखित किया गया है, उक्त सान्हा के बी से बी भाग में उल्लेखित जानकारी कि बाद आने जाने व्यक्तियों से पूछताछ कर उपरोक्त रोजनामचा सान्हा में दर्शाये गये व्यक्तियों के विषय में पतारसी की तो उन्होंने दो व्यक्तियों को थैला लेकर घूमते देखना बताया और किसी व्यक्ति से बात करना और चले जाना बताया, का उल्लेख है, किन्तु वे कौन लोग थे, कहां के थे इस बारे में कोई जांच नहीं की, न ही उनके नाम पूछे, न ही उनका कोई उल्लेख सान्हा में किया जाना मदन दुबे अ.सा.-2 ने पैरा -6 में स्वीकार किया है, जो पैरा-7 में क्रॉम्टन फैक्ट्री के सामने जहां आसपास तलाश हुई थी, वहां वह जंगल बताता है और थाने से करीब पांच किलोमीटर की दूरी बताता है और वहीं से रिठौरा थाने की सीमा लगना कहा है, ऐसे में जिस स्थान पर मुखबिर की सूचना पर से जांच की गयी उस स्थान के बारे में ही अ.सा.-1 व अ.सा.-2 के अभिसाक्ष्य में विरोधाभासी स्थिति है, क्योंकि अ.सा.-1 खुली जगह और अ.सा.-2 जंगल बताता है ।

11. उपनिरीक्षक मदनदुबे अ.सा.-2 मुताबिक आरोपीगण द्वारा मुहैया करायी गयी सामग्री को लेकर इशतहारी फरारी अपराधी ब्रजेन्द्रसिंह उर्फ कक्का रिठौरा तरफ चला गया था किन्तु रिठौरा थाना को इसकी कोई सूचना दी गयी या नहीं इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, वह स्वयं ऐसी कोई जानकारी नहीं देना बताता है । और कार्यवाही करने वाले निरीक्षक धुर्वे ने भी दी या नहीं इस बारे में भी उसे जानकारी नहीं है । दि0-24/1/13 की रोज0सान्हा क्र0-895 की जानकारी किसे मिली थी किस माध्यम से मिली थी, इसके बारे में भी उसे कोई जानकारी नहीं है और वह तो निरीक्षक सुमन सिंह धुर्वे के साथ हमराह पुलिसबल में जाना बताता है, उसके मुताबिक दोनों साक्षी थाने से ही साथ में ले गये थे । जबकि कथानक अनुसार दोनों पंच साक्षी रवि जाटव और विजय उर्फ ब्रजकिशोर के कथनों में आयी जानकारी कि आरोपीगण द्वारा फरारी इशतहारी अपराधी ब्रजेन्द्रसिंह उर्फ कक्का को एक थैला में जूते, कपड़े, खाने पीने का सामान, दैनिक उपयोग में आने वाला सामान उपलब्ध कराया गया, जिसे लेकर वह चला गया और पुलिस के आने की सूचना भी आरोपीगण द्वारा दी गयी । जबकि कथानक मुताबिक उक्त दोनों साक्षी पूरे समय पुलिस के साथ ही रहे, ऐसे में दोनों साक्षियों को उक्त जानकारी मिलने का स्त्रोत सुदृण नहीं है और इससे बचाव पक्ष के इस आधार को बल मिलता है कि उन्हें फरारी इशतहारी अपराधी ब्रजेन्द्रसिंह उर्फ कक्का के कुटुम्बी होने के आधार पर पुलिस ने झूठा अभियोजित कराया है । क्योंकि परिस्थितियां

भी ऐसा ही प्रकट कर रही है । इसलिये अ.सा.-1 जिसे तो वास्तव में कोई जानकारी नहीं है उसके अभिसाक्ष्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है और अ.सा.-2 का अभिसाक्ष्य उक्त स्थिति में विश्वसनीय नहीं रह जाता है क्योंकि तात्त्विक बिन्दुओं पर वह अपना भार निरीक्षक सुमन सिंह ध्रुवे पर डाल रहा है जो फौत होने से परीक्षित नहीं है । इसलिये उपलब्ध पुलिस साक्षियों के अभिसाक्ष्य के आधार पर प्र.पी.-1 लगायत-4 के रोजनाचमा सान्हा के वृत्तान्त को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है जिससे अभियोजन का मामला पूर्णतः संदिग्ध हो जाता है ।

12. फलतः उपरोक्त समग्र साक्ष्य, तथ्य, परिस्थितियों के चरणबद्ध तरीके से किए गये विश्लेषण के आधार पर अभियोजन अपना मामला संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दि०-24/1/2013 को या उसके पूर्व डकैती प्रभावित क्षेत्र मालनपुर में प्रदर्श पी.-8 मुताबिक पांच हजार रुपये के ईमानी फरारी इश्तहारी अपराधी ब्रजेन्द्रसिंह उर्फ कक्का को अपराध के दण्ड से बचाने के लिए संश्रय दिया, या पुलिस के आने जाने की कोई सूचना दी, और दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराकर उसे सहयोग किया । अतः आरोपीगण को संदेह का लाभ दिया जाकर धारा-212, 216 भादवि० सहपठित धारा-11, 13 एम.पी. डी.बि.पी.के. एक्ट 1981 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है ।

13. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं ।

14. प्रकरण में निराकरण योग्य कोई संपत्ति नहीं है । अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य होगा ।

15. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जाये ।

दिनांक 17 मार्च 2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश, डकैती
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश, डकैती
गोहद जिला भिण्ड